न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-20/2022

राज्य

बनाम्

विक्रम कुमार महतो

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 702/अप0शा0 दिनांक 25.03.2021 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या—237/2019 दिनांक—12.11.2019 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा धारा—18(बी)/25/29 N.D.P.S Act. के तहत कांड में जप्त वहन मारूती स्वीफ्ट डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नं0—JH01CZ-4452 चेचिस नं0—MBHCZC63SJF206504, ईंजन नं0— K12MN2217584 से अफीम तस्करी कर बगड़ा, चतरा पहुंचाने के क्रम में अफीम के साथ पकड़े जाने के विरूद्ध राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया।

विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल किया गया है कि :—

1. प्रतिपक्षी स्वीफ्ट डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नं0—JH01CZ-4452 के निबंधित स्वामी है।
2. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा Cr. M.P.—1269/2021 द्वारा दिनांक 27.09.2021 को वाहन मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है।
3. प्रतिपक्षी द्वारा जमानत कराने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में स्थानीय थाना बालूमाथ में वाहन से संबंधित कागजात का सत्यापन कराकर दिनांक 14.10.2022 को अपने पास रख लिया है।
4. वाहन से संबंधित सम्पूर्ण कागजात वैध एवं अद्यतन है।

पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा N.D.P.S Act. के तहत् राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित है। The Narcotic Drugs and

Psychotropic substances Act. 1985 की धारा– 60, 61, 62 एवं 63 में Confiscation से संबंधित मामलों का उल्लेख है। धारा– 63(1) में अंकित है कि "In the trial of offences under this Act, whether the accused is convicted or acquitted or discharged, the court shall decide whether any article or thing siezed under this Act is liable to confiscation under section 60 or section 61 or section 62 and, if it decides that the article is so liable, it may order confiscation accordingly." इस प्रकार उक्त वाद की सुनवाई Trial Court में चलने योग्य है।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में दायर वाद Cr. M.P. No.–1269/2021 में दिनांक 27.09.2021 को बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–237/2019 दिनांक–12.11.2019 में जप्त मारूती स्वीफ्ट डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नं0–JH01CZ-4452 को मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त वाद को निष्पादित करते हुए पुलिस अधीक्षक, लातेहार को निदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची में दायर वाद Cr. M.P. No.–1269/2021 में दिनांक 27.09.2021 को पारित आदेश का अनुपालन करें।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, लातेहार तथा प्रतिपक्षी को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

ज्ञापांक 1153 **/विधि, दिनांक** 29 **/11/2022**

प्रतिलिपि :– विक्रम कुमार महतो, पे0– स्व0 कार्तिक महतो, सा0– हॉस्पीटल रोड, बुण्डू, थाना– बुण्डू, जिला– रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.01.31 13:38:17 +05:30
Location: 192.168.244.97

29.11.22

प्रभारी उप समाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा, लातेहार।